न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड म०प्र0

प्रकरण कमांक:— 221 / 2011 नि0फोo संस्थापित दिनांक 21.09.2011

गनपति राम पुत्र कुअंरपाल जाति जाटव निवासी ग्रमा माहौ, परगना गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0।

-----आवेदिका / निगरानीकर्ता

बनाम

- 1. गुलाबचन्द्र पुत्र हुब्बालाल।
- 2. हरी पुत्र गुलाबचंन्द्र। निवासीगण विजये नगर छत्री के पास आम खो लश्कर जिला ग्वालियर म0प्र0।
- 3. चौकीदार प्रतापसिंह मिर्धा ग्राम माहौ परगना गोहद थाना मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0।

<u>———अनावेदकगण / प्रतिनिगरानीकर्ता</u>

निगरानीकर्ता द्वारा श्री एस.एस.श्रीवास्तव अधिवक्ता।

गैरनिगरानीकर्ता एकपक्षीय।

//आ दे श// //आज दिनांक 06—10—2015 को पारित किया गया//

01. पुनिरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत पुनिरीक्षण आवेदनपत्र का निराकरण इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पुनिरीक्षणकर्ता ने एस0डी0एम0 गोहद पीठासीन अधिकारी श्री सोनी के द्वारा विविध प्रकरण क्रमांक 02/2010 मु0फौ0 x 133 जा0फौ0 गनपति बनाम गुलाबचन्द्र बगैरह में पारित आदेश दिनांक 13.09.2011 से व्यथित होकर वर्तमान पुनिरीक्षण आवेदनपत्र पेश किया गया है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पुनिरीक्षणकर्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण अंतर्गत धारा 133 सी.आर.पी.सी कार्यवाही योग्य न होने से निरस्त किया गया है।

02. वर्तमान पुनिरीक्षण के संबंध में सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है ग्राम माहौ स्थिति आराजी नम्बर 167/1 रकवा 0.40 हेक्टेयर निगरानीकर्ता एवं उसकी पत्नी भूस्वामिनी होकर आधिपत्यधारिणी है। उक्त भूमि से प्रति निगरानीकर्तागण का कोई संबंध नहीं है। निगरानीकर्ता के खेत पर जाने के लिए जो रास्ता है उसे प्रति निगरानीकर्ता जबरन रोक रहे है और तार फेन्सिग कर गेट लगा दिया है, जिसे खुलवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में धारा 133 जा.फौ. के अंतर्गत आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था जो कि न्यायालय द्वारा गलत तौर से निरस्त कर दिया गया है। जिससे व्यथित होकर पुनिरीक्षणकर्ता के द्वारा वर्तमान पुनिरीक्षण पेश की गई है।

पुनिरीक्षण कर्ता के द्वारा पुनिरीक्षण मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश विधि विधान के विरूद्ध है। जबिक पुलिस के द्वारा रास्ता रोकने के संबंध में प्रतिवेदन दिया था और शांति भंग होने की संभावना बताई थी एवं नायब तहसीलदार गोहद द्वारा भी मौके का स्थल निरीक्षण किया गया था, जिसमें उन्होंने रास्ता रोककर आवागम वाधित होना पाया था। निगरानीकर्ता का पट्टा कलेक्टर भिण्ड के द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, वह भू-स्वामी के रूप में अंकित है, मात्र दीवानी दावा चलने के आधार पर रास्ते के संबंध में कोई प्रभाव नहीं पडता है और न ही दीवानी दावे में रास्ते में संबंध में कोई विवाद प्रश्नाधीन हैं। निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र धारा 133 प्रचलन योग्य है, यदि वह प्रचलन योग्य नहीं था तो उसे प्रारंभ में ही निरस्त क्यों नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर भी कोई विचार नहीं किया गया है। धारा 131 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत सहायता लेने की निगरानीकर्ता को कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान प्रकरण शांति भंग होने से संबंधित है। उसकी जमीन का रास्ता रोकने से निगरानीकर्ता अपनी जमीन पर नहीं जा पा रहा है इस संबंध में भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा विवेचना नहीं की गई है। ऐसी दशा में अधीनस्थ एस. डी.एम न्यायालय के आदेश दिनांक 13.09.2011 को निरस्त कर निगरानीकर्ता का आवेदनपत्र स्वीकार करते हुए रास्ता खुलवाए जाने अथवा पुनः जॉच के लिए अधीनस्थ न्यायालय भेजे जाने की याचना की है।

04. गैरनिगरानीकर्ता प्रकरण में उपस्थिति नहीं है।

05. पुनिरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत पुनिरीक्षण आवेदन के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है कि—

क्या अधीनस्थ एस.डी.एम. न्यायालय का आदेश दिनांक 13.09.2011 वैधता, शुद्धता एवं औचित्यतता की दृष्टि से स्थिर रखे जाने योग्य न होने से अपास्त किए जाने योग्य है?

//निष्कर्ष के आधार//

- 06. निगरानीकर्ता अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह बताया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 133 जा.फौ. जो कि अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.एम. गोहद के द्वारा मौके पर विवाद होना पाते हुए सुनवाई हेतु लिए गए था और उसमें उनके द्वारा प्रारंभिक आदेश भी पारित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उसके लिए गए स्पष्ट आधारों के संबंध में विचार किये बिना एवं उन पर उचित रूप से विवेचन किए बिना उसका आवेदनपत्र मात्र इस आधार पर निरस्त किया गया है कि लोकशांति भंग होने की कोई संभावना नहीं है और इस संबंध में दीवानी न्यायालय में दावा चलने का आधार बताते हुए आवेदनपत्र निरस्त किया गया है।
- 07. उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। प्रश्नाधीन आदेश के संबंध में विचार किया गाय। निगरानी आवेदनपत्र एवं आदेश के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम यह स्पष्ट होता है कि विवाद निगरानीकर्ता की भूमि पर रास्त के संबंध में है जो कि निगरानीकर्ता की अपनी निजी भूमि होना और उस पर उसको रास्ते का अधिकार होना बताते हुए लोकशांति भंग की आशंका होना व्यक्त कर सहायता की याचना की गई है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.एम के द्वारा स्पष्ट रूप से यह फाइंडिंग दी गई है कि विवाद प्राईवेट भूमि पर मार्ग से संबंधित है और इस प्रकार के विवाद में धारा 131 म.प्र. भू—राजस्व संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है जो कि उक्त फाइंडिंग प्रथम दृष्टिया ही सही होनी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त वादग्रस्त बताई गई भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय में विवाद चलना और उसमें गैरनिगरानीकर्ता के पक्ष में सीगन आदेश होने का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का आधार लिया गया है।
- 08. निश्चित तौर से धारा 133 द.प्र.सं. जो कि लोकशांति भंग होने की संभावना के आधार पर एस.डी.एम को कार्यवाही करने हेतु सक्षम बनाता है। वर्तमान विवाद का जहाँ तक प्रश्न है, यह प्राइवेट रास्त के संबंध में विवाद होना दर्शित होता है, कोई रूढिगत रास्त या सार्वजनिक रास्त रहा हो ऐसा कहीं भी दर्शित नहीं

है। इस परिप्रेक्ष्य में यदि एस.डी.एम. गोहद के द्वारा प्रथम दृष्टिया धारा 133 सी. आर.पी.सी. के तहत कार्यवाही करने हेतु कोई आधार होना न पाते हुए आवेदनपत्र निरस्त किया गया है तो इस सबंध में एस.डी.एम के द्वारा कोई अवैधता, अश्द्धता की जानी नहीं पाई जाती है तथा एस.डी.एम का आदेश औचित्यताहीन भी होना नहीं कहा जा सकता है।

तद्नुसार निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत वर्तमान निगरानी स्वीकार योग्य होनी नहीं पाई जाती है। अधीनस्थ न्यायालय एस०डी०एम० के आदेश दिनांक 13.09.2011 की पुष्टि की जाती है तथा वर्तमान निगरानी आवेदनपत्र सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को भेजी जावे। आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया । मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी0थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(डी०सी0थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)